

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय/ MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड)/ (RAILWAY BOARD)

सं. 2020/सेफ्टी(डीएम)6/14

नई दिल्ली, दिनांक 15.04.2020

महाप्रबंधक, सभी क्षेत्रीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां  
महानिदेशक, अ.अ.मा.सं. एवं भारतीय रेल राष्ट्रीय अकादमी

मुख्य प्रबंध निदेशक/प्रबंध निदेशक, रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी उपक्रम एवं कॉकण रेलवे  
कॉरपोरेशन लिमिटेड सभी

निदेशक, सभी केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान

**विषय: कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए निवारक उपाय।**

**संदर्भ: बोर्ड के दिनांक 25.03.2020, 07.04.2020, 13.04.2020 और 14.04.2020 के  
समसंख्यक पत्र।**

-----

इस कार्यालय के संदर्भाधीन पत्रों के क्रम में, कृपया केंद्रीय गृह सचिव के दिनांक 15.04.2020 के आदेश सं. 40-3/2020-डीएम-1(ए) की संलग्न प्रति देखें, जो 3 मई, 2020 तक लॉकडाउन उपायों को जारी रखने और चुनिंदा अतिरिक्त गतिविधियों को 20 अप्रैल, 2020 से अनुमति देने के बारे में है। "देश में कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य/केन्द्रशासित सरकारों और राज्य/केन्द्रशासित प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले उपायों पर इस आदेश के भाग के रूप में जारी समेकित संशोधित दिशा-निर्देश भी इसके साथ संलग्न हैं।

कृपया उपर्युक्त उल्लिखित आदेश तथा दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(डिम्पी गर्ग)

कार्यपालक निदेशक/संरक्षा(एम)

रेलवे बोर्ड

संलग्नक: यथोक्त